

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1978/श्रावण 7, 1900
No 152] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1978/SRAVANA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

पार्वजनिक सूचना सख्या-19/ई० टी० सी० (प० एन०)/78

नई दिल्ली 29 जुलै 5, 1978

नियत व्यापार नियंत्रण

विलय 6 जन, 1966 का भारत सरकार का अधिनियम-नियंत्रण की वर 4 मागों का भुगतान।

निसिल सख्या-5/20/78-ई-1-6 जुलै, 1966 का भारत सरकार के अधिनियम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निपटारे के लिए भारत और हमारे के बीच 22 जुलाई, 1966 का इलाहपुरी प्रादेशिक के अंतर भारतीयों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है।

2. 6 जून, 1966 से पहले निर्गमित सविदाओं के सम्बन्ध में भारतीय निर्यातिका और हंगरी के आयातकों के बीच और भारतीय आयातकों और हंगरी के निर्यातकों के बीच बकाया भागों के अंतिम भुगतान में आवश्यक पक्ष सम्बन्धों के विचारार्थ है। सरकार इस बात का प्रतिनिधित्व करना चाहती है कि इन मामलों को निपटाने के लिए हंगरी के आयातकों में भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त करने योग्य सभी बकाया भागों पर विचार किया जाए, और इसी लिए हंगरी की पार्टी के प्रति जो वकालत गाय है उसकी सूचना भारतीय निर्यातकों का बाधित, नार्मल अर्थात् और सहकारिता सहायक, बाणिज्य विभाग [एम्पा (ईई) अग्रभाग को] प्रभुत्व सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की निधि से एक सहीने के माध्यम से प्रसारित करने वाले दस्तावेजों माध्यम के साथ देनी चाहिए। सूचना निम्नलिखित ढंग से देनी होगी, योजना चाहिए —

1. फर्म का पूरा नाम और ब पता
2. सविदा का संख्या और तिथि
3. हंगरी के क्रेता का नाम और पता
4. 6-6-1966 का सविदा का निष्पादन की सीमा
5. सविदा में उल्लिखित दर/कीमत
6. 6-6-1966 का या बाद में किए गए पोलदानों पर देय भुगतान
7. पिछले पोलदानों पर 6-6-1966 को पुनर्रूप में या आशिक रूप में प्राप्त किए गए भुगतान जिन के लिए उस तिथि को या उससे बाद में दस्तावेजों माध्यम प्रक्रिया में या पूर्ण-करण के आधार पर पहले ही भेज दिए गए थे।
8. हंगरी के क्रेताओं में वसूल की गई अवमुल्यन के अन्तर्गत की गणना
9. अक्षरों बकाया पक्ष गति

का. ० वे. ० प्रेसिडि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

Public Notice No. 49-ETC(PN)/78

New Delhi, the 29th July, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

Subject: Devaluation of Indian rupee on the 6th June, 1966—settlement of outstanding claims of exporters.

File No. 5/20/78-EI -Attention of the Indian exporters is invited to the Protocol signed on 22nd July, 1966 between India and Hungary to settle the problems arising as a consequence of devaluation of Indian rupee on 6th June, 1966.

2. Questions relating to final settlement of outstanding claims between the Indian exporters and Hungarian importers and vice versa in respect of contracts concluded prior to 6th June 1966 are under consideration of the Government. Government would like to ensure that in dealing with these matters all claims outstanding in favour of the Indian exporters due from the Hungarian importers are taken into consideration and therefore, the Indian exporters should intimate to the Ministry of Commerce (Civil Supplies and Cooperation Department of Commerce (H I L) Section) any claim that may be outstanding against the Hungarian party, with the supporting documentary evidences within one month from the date of issue of this Public Notice. The information should be furnished giving the following details:-

1. Full Name and address of the firm
2. Contract No. and date
3. Name and address of the Hungarian buyer
4. The extent of performance of the contracts on 6.6.1966
5. The rate, price mentioned in the contract
6. Payments due on shipments effected on or after 6.6.1966
7. Payments due in full or in part on the 6.6.1966 on earlier shipments for which documents were on or after that date in the process of negotiation or were sent already on collection basis
8. Amount of devaluation difference realised from Hungarian buyers
9. Amount still outstanding

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

